प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 4160/2004

याचिकाकर्ता : **डॉ. एस.एम. बडोले**

विरुद्ध

उत्तरवादी: **स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और अन्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21 फरवरी 2011 को आदेश सुनाए जाने हेतु सूचीबद्ध करे

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका क्र. 4160/2004</u>

याचिकाकर्ता : **डॉ. एस.एम. बडोले**

विरुद्ध

उत्तरवादी: **स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और अन्य**

(भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका)

एकल पीठ : **माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री**

उपस्थित: श्री संदीप दुबे और श्री पी.पी. साहू, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ।

डॉ. एन.के. शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री बी.डी. गुरु और श्री राजेंद्र त्रिपाठी, उत्तरवादी-1 की ओर से अधिवक्ता ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दिनांक 21 फरवरी 2011 को प्रदत्त)

1. इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता उत्तरवादी प्राधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग करता है कि वे याचिकाकर्ता को दिनांक 30-06-2001 से प्रभावी ME-6 श्रेणी में पदोन्नत करने तथा उसे वर्ष 1980 के उसके बैच के साथियों के समकक्ष ME-7 श्रेणी में रखने पर विचार करें, एवं उसे समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करें।

2. प्रकरण के न्यायनिर्णयन हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सार यह है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। याचिकाकर्ता, नियुक्ति आदेश दिनांक 19-03-1980 (अनुलग्नक- पी/1) के आधार पर दिनांक 07-04-1980 को कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में भिलाई इस्पात संयंत्र (संक्षेप में "बीएसपी") में सेवा में सम्मिलित हुआ था, जो कि उत्तरवादी क्रमांक-1 - स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(संक्षेप में "सेल") का एक उपक्रम है। सेवाकाल के दौरान, याचिकाकर्ता ने निश्चेतनता विज्ञान में डिप्लोमा पूर्ण किया, जिसके लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की गई है।"

3. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे वर्ष 1988 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों हेतु निर्मित, कंपनी की पदोन्नति नीति के उल्लंघन में पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। उत्तरवादी प्राधिकारियों के उक्त कृत्य के कारण, याचिकाकर्ता के साथ सेवा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारी 'एम.ई.-7' श्रेणी में पहुँच गए, जबकि याचिकाकर्ता को वर्ष 1997 में केवल 'एम.ई.-5' श्रेणी में पदोन्नत किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चिकित्सा कार्यकारियों हेतु निर्धारित पदोन्नति नीति के अनुसार, याचिकाकर्ता वर्ष 2001 में 'एम.ई.-6' श्रेणी में पदोन्नति हेतु पात्र है, अर्थात 'एम.ई.-5' श्रेणी के रूप में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, किंतु उक्त लाभ भी याचिकाकर्ता को अवैध और मनमाने ढंग से प्रदान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता का दिनांक 30-06-2001 से 'एम.ई.-6'श्रेणी में पदोन्नति का दावा पूर्णतः न्यायसंगत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पत्र दिनांक 28-07-2004 (अनुलग्नक पी/12) और 30-09-2004 (अनुलग्नक पी/13) के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के अवैध और अनुचित दृष्टिकोण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उत्तरवादी प्राधिकारियों की निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता से कनिष्ठों को पदोन्नत कर दिया गया है। इससे पूर्व याचिकाकर्ता ने वर्ष 1991 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें उसके बैच के साथियों को दिनांक 30-06-1991 को 'ई-3'से 'ई-4'श्रेणी में दी गई पदोन्नति के आदेशों को चुनौती दी गई थी। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता ने उक्त रिट याचिका को वापस लेने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया था। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों हेतु पर्याप्त रिक्तियां होने के बावजूद, उत्तरवादी प्राधिकारी याचिकाकर्ता को पदोन्नति प्रदान नहीं कर रहे हैं। उत्तरवादी प्राधिकारियों का उक्त कृत्य अवैध, मनमाना और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/निर्देशों के विरुद्ध है। अतः, यह याचिका प्रस्तुत है।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री दुबे एवं श्री साहू यह तर्क प्रस्तुत करेंगे कि उत्तरवादी कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (संक्षेप में "पीएसयू") है और यह संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 में निहित संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों द्वारा शासित होती है। आरक्षित वर्ग से संबंधित उम्मीदवार पदोन्नति के मामलों में भी आरक्षण पाने का पात्र है।

6. श्री दुबे ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी कंपनी द्वारा अपने उत्तर में लिया गया यह अभिकथन कि कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति हेतु आरक्षण नीति लागू नहीं होती, तथ्यों और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न परिपत्रों के विपरीत है। कार्यालय ज्ञापन संख्या 36021/10/76-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 21-01-1977 (अनुलग्नक पी/6) द्वारा भारत सरकार, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में अर्हता मानकों में ढील देने का निर्देश दिया है। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने चिकित्सा कार्यकारियों हेतु एक पदोन्नति नीति (अनुलग्नक -पी/8) निर्मित की है। उक्त नीति की कंडिका 15.0 में इस विषय पर राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. श्री दुबे ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण)-खंड-II दिनांक 03-10-2000 (अनुलग्नक पी/9) द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को पदोन्नति के मामलों में निम्न अर्हता अंकों और मूल्यांकन के कम मानकों के माध्यम से रियायतें प्रदान की जाएं, जैसा कि दिनांक 22-07-1997 से पूर्व प्रचलन में था। उक्त कार्यालय ज्ञापन को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा 11-10-2000 (अनुलग्नक -पी/10) को अनुपालन हेतु सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रेषित किया गया था। तदनुसार, सेल ने अपने पत्र दिनांक 06-11-2000 (अनुलग्नक -पी/11) द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को उपरोक्त ज्ञापनों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र ने अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु पदोन्नति के मामलों में ढील या रियायत का

कोई प्रावधान नहीं किया है। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों पर आधारित भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किए बिना श्रेणी ई-6 में पदोन्नति हेतु याचिकाकर्ता पर विचार किया जाना दूषित है, तथा सामान्य मानक के आधार पर याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता को निरस्त किया जाना भी दोषपूर्ण एवं अवैध है।

8. दूसरी ओर, सेल (भिलाई इस्पात संयंत्र) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. शुक्ला, जिनके साथ विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु और श्री त्रिपाठी उपस्थित हैं, ने यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर वर्ष 2001 में श्रेणी ई-5 में चार वर्ष का अनुभव प्राप्त करने के पश्चात श्रेणी ई-6 में पदोन्नति हेतु विचार किया गया था और कंपनी की पदोन्नति नीति के अनुसार कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा अवधि जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसके मामले को अस्वीकार कर दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. डॉ. शुक्ला ने आगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के प्रकरण पर वर्ष 2002, 2003 और 2004 में भी पदोन्नति हेतु विचार किया गया था, किंतु वह उपयुक्त नहीं पाया गया और इस प्रकार, विभागीय पदोन्नति समिति ने याचिकाकर्ता की श्रेणी ई-5 से श्रेणी ई-6 में पदोन्नति हेतु अनुशंसा नहीं की। पदोन्नति के मामले में आरक्षण नीति लागू नहीं होती है, क्योंकि ऐसी कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाती जिसमें अर्हता मानक में ढील दी जा सके। आरक्षण का लाभ केवल समूह 'ख' (गैर-कार्यकारी संवर्ग) से समूह 'क' के निम्नतम स्तर के पदों पर, अर्थात श्रेणी ई-0 तक चयन हेतु प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात नहीं। उत्तरवादी कंपनी ने श्रेणी ई-0 तक, जहाँ नियुक्ति चयन के माध्यम से की जाती है, अनुसूचित जाति हेतु 15% और अनुसूचित जनजाति हेतु 7.5% पद आरक्षित किए हैं। कार्यकारी संवर्ग में श्रेणी ई-3 और ई-5 जैसी श्रेणियों में पदोन्नति, औसत क्रेडिट अंक द्वारा मापे गए कार्य-निष्पादन, अर्हता, सेवा अवधि और साक्षात्कार जैसे कारकों पर आधारित चयन के माध्यम से की जाती है। अन्य अभ्यर्थियों का कार्य-निष्पादन बेहतर था और वे याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे। याचिकाकर्ता द्वारा अनुलग्नक -पी/7 पर उल्लेखित चिकित्सकों की सूची याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक अर्हता प्राप्त है, जिनके पास चिकित्सा के विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में

स्नातकोत्तर उपाधि है, जबकि याचिकाकर्ता के पास केवल निश्चेतनता विज्ञान में डिप्लोमा की अर्हता है।

10. डॉ. शुक्ला ने यह भी तर्क दिया कि श्रेणी ई-5 में सेवा की केवल पात्रता अवधि पूर्ण कर लेने से कोई कार्यकारी श्रेणी ई-6 में पदोन्नति का अधिकारी नहीं हो जाता, क्योंकि यह कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा अवधि जैसे कारकों के संबंध में अभ्यर्थियों के समग्र मूल्यांकन पर आधारित है। दिनांक 03-10-2000 का कार्यालय ज्ञापन श्रेणी ई-6 में पदोन्नति के मामले में सर्वथा लागू नहीं होता है। याचिकाकर्ता द्वारा लगाया गया यह आरोप कि उच्च पदों पर पदोन्नति प्रदान करते समय उसके साथ भेदभाव किया गया, पूर्णतः निराधार है। अतः, याचिकाकर्ता किसी भी अनुतोष का अधिकारी नहीं है और याचिका खारिज होने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. प्रकरण के तथ्यों में उद्भूत होने वाला विधि का प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता, अनुसूचित जाति का सदस्य होने के नाते, भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के प्रावधानों के लाभ का अधिकारी है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि किसी भी वर्ग की सेवा में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण हेतु, किसी भी परीक्षा में अर्हता अंकों में ढील दी जा सकती है या मूल्यांकन के मानकों को न्यून किया जा सकता है।

12. सुलभ संदर्भ हेतु, भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 को नीचे उद्धृत किया गया है:

> **"335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे—** संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा:
>
> परन्तु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं के किसी वर्ग या वर्गों या पदों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए, किसी परीक्षा में अर्हता

अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को घटाने के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।"

अनुच्छेद 335 का परंतुक, संविधान (82 संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 2 द्वारा (दिनांक 06-09-2000 से प्रभावी) अंत:स्थापित किया गया था।

13. भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 335 के सक्षमकारी परंतुक के अनुसरण में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के मामलों में निम्न अर्हता अंकों और मूल्यांकन के कम मानकों के माध्यम से दी जाने वाली छूट/रियायतों को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्णय लिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण)-खंड-II दिनांक 03-10-2000 (अनुलग्नक पी/9) निम्नलिखित है

क्रमांक 36012/23/96-स्थापना (आरक्षित) खंड II,

भारत सरकार,

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 3 अक्टूबर , 2000

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: पदोन्नति में आरक्षण – निम्न योग्यता अंक/मूल्यांकन के निम्न मानक का निर्धारण।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 22 जुलाई, 1997 के संदर्भ में यह

निर्देशित किया गया है, जिसके माध्यम से 'एस. विनोद कुमार बनाम भारत संघ'के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति के मामलों में निम्न अर्हता अंक/मूल्यांकन के कम मानक प्रदान करने वाले सरकार के विभिन्न निर्देशों को वापस ले लिया गया था।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश दिया गया है कि इस मामले की समीक्षा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप संविधान (82 संशोधन) अधिनियम, 2000 द्वारा अनुच्छेद 335 में निम्नलिखित परंतुक को संविधान में शामिल किया गया है:

> इस अनुच्छेद में कोई भी बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पक्ष में किसी भी परीक्षा में अर्हता अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को कम करने, संघ या राज्य के मामलों से संबंधित किसी भी वर्ग या वर्गों की सेवाओं या पदों में पदोन्नति के मामलों में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने से नहीं रोकेगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. संविधान के अनुच्छेद 335 के सक्षमकारी परंतुक के अनुसरण में, अब यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों हेतु पदोन्नति के मामलों में निम्न अर्हता अंकों और मूल्यांकन के कम मानकों के माध्यम से दी जाने वाली उन छूटों/रियायतों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, जो 22.07.1997 से पूर्व विद्यमान थीं और जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में समाहित थीं, जिनमें कार्यालय ज्ञापन संख्या 8/12/69-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 23.12.1970, संख्या 36021/10/76-स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 21.01.1977 और कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/5/86-स्थापना (डी) दिनांक 10.04.1989 में निहित विभागीय पदोन्नति समिति के मार्गदर्शी सिद्धांतों की कंडिका 6.3.2 सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में, इन निर्देशों का प्रभाव यह होगा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 22 जुलाई, 1997 इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से निष्प्रभावी हो जाएगा।

4. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि को या उसके बाद किए जाने वाले चयनों के संबंध में प्रभावी होंगे और पहले से अंतिम रूप दिए गए चयनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इन निर्देशों को अपने अधीन कार्यरत संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संज्ञान में भी लाएं ताकि इनका अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

हस्ता/-

(जे. कुमार)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष नंबर- 3011797

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. तदनुसार, भारत सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने ज्ञापन दिनांक 11-10-2000 (अनुलग्नक - पी/10) के माध्यम से सेल सहित सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपरोक्त दिनांक 3-10-2000 के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करने का निर्देश दिया।

16. ज्ञापन दिनांक 11-10-2000 निम्नलिखित है:

संख्या 6(4)/98-डी.पी.ई. (एस.सी./एस.टी. सेल)

भारत सरकार भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय सार्वजनिक उद्यम विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 अक्टूबर, 2000

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पदोन्नति में आरक्षण - निम्न अर्हता अंक/मूल्यांकन के कम मानक का निर्धारण।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/23/96-स्थापना (आरक्षण)-खंड-II दिनांक 3-10-2000 की प्रति इसके साथ अग्रेषित करने और यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को सूचना एवं अनुपालन हेतु अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

हस्ताक्षरित/-

(सी.सी. उन्नीकृष्णन)

उप सचिव, भारत सरकार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. सेल ने दिनांक 06-11-2000 (अनुलग्नक -पी/11) के ज्ञापन द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र को आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया। ज्ञापन दिनांक 06-11-2000 निम्नलिखित है:

"स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

संख्या- पी.ई.आर./आई.आर. एण्ड डब्लू./विविध/99

दिनांक 6 नवंबर, 2000

श्री जी. उपाध्याय

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)

भिलाई इस्पात संयंत्र

भिलाई- 490001

विषय: पदोन्नति में आरक्षण - निम्न अर्हता अंक/मूल्यांकन के कम मानक का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर उप सचिव, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग से प्राप्त पत्र संख्या 6(4)/98-डी.पी.ई. (एस.सी./एस.टी. सेल) दिनांक 11 अक्टूबर, 2000 की प्रति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संलग्नकों सहित, अपनी ओर से सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न पायें।

धन्यवाद,

भवदीय,

हस्ताक्षरित/-

(धनंजय पाण्डेय)

वरिष्ठ प्रबंधक (पी-आई.आर. एण्ड डब्लू.)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. इसके अतिरिक्त, चिकित्सा कार्यकारियों हेतु पदोन्नति नीति (अनुलग्नक-पी/8) की कंडिका 15.0 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, जो निम्नलिखित है:

"15.0 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण:

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण इस विषय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।"

19. उपरोक्त के प्रकाश में, उत्तरवादी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (भिलाई इस्पात संयंत्र) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. शुक्ला का यह तर्क कि पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण लागू नहीं है, निराधार है; क्योंकि न तो संविधान के अनुच्छेद 335 के परंतुक में और न ही भारत सरकार एवं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों में गैर-कार्यकारी या कार्यकारी श्रेणियों, अर्थात श्रेणी ई-5 से ई-6 की पदोन्नति के मध्य कोई भेद किया गया है।

20. डॉ. शुक्ला का दूसरा तर्क कि चूंकि यहाँ कोई अर्हता परीक्षा नहीं है और इस कारण श्रेणी ई-5 से ई-6 में पदोन्नति हेतु विचार के मामले में यह लागू नहीं होगा, भी भ्रामक और अनुचित

है; क्योंकि अनुच्छेद 335 का परंतुक, जो कि एक सक्षमकारी प्रावधान है, स्पष्ट रूप से मूल्यांकन के मानकों को न्यून करने का प्रावधान करता है जिसमें कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा अवधि सम्मिलित है। संविधान का अनुच्छेद 335 और कार्यालय ज्ञापन किसी भी परीक्षा में अर्हता अंकों में छूट के अतिरिक्त मूल्यांकन के कम मानकों का स्पष्ट रूप से प्रावधान करते हैं।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने के उपरांत, याचिका तथा प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिवचनों एवं अन्य दस्तावेजों के परिशीलन से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने मूल्यांकन के कम मानकों, अर्थात कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा अवधि का प्रावधान नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के साथ सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के स्तर के समान व्यवहार किया गया। अतः चयन प्रक्रिया की कार्यवाही, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ, मूल्यांकन के मानकों अर्थात कार्य-निष्पादन, अर्हता और सेवा अवधि को कम किए बिना की गई प्रतीत होती है और इस कारण उक्त कार्यवाही दूषित एवं असंवैधानिक है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. ***'एम. नागराज एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य'***[1] में उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निम्नलिखित प्रश्न उठाया:

> "41. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, हमें अनुच्छेद 16 (4) के संदर्भ में 'आरक्षण' शब्द पर विचार करना होगा और उसी संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 335 को देखा जाना चाहिए, जो मूल्यांकन के मानकों में ढील देने का प्रावधान करता है। हमें संविधान निर्माताओं के मूल आशय के अनुसार चलना होगा न कि सामान्य अवधारणाओं या सिद्धांतों के अनुसार। इसलिए, संविधान की योजनाबद्ध व्याख्या लागू की जानी चाहिए और यही न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ द्वारा 'इलेक्शन केस' में विकसित कार्य-परीक्षण का आधार है।"

अंततः उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया:

> "99. यह परंतुक केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए पदोन्नति में आरक्षण के लाभ के

[1] (2006) 8 एस.सी.सी. 212

अनुसरण में जोड़ा गया था। यह परंतुक इस न्यायालय के 'विनोद कुमार' के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अंतःस्थापित किया गया था, जिसमें यह विचार व्यक्त किया गया था कि अनुच्छेद 335 में निहित अध्यादेश को देखते हुए अनुच्छेद 16 (4) के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में ढील अनुज्ञेय नहीं थी। एक बार जब अनुच्छेद 16 के खंड (4) में से एक पृथक श्रेणी बना दी जाती है, तो उस श्रेणी को पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में ढील दी जा रही है। यह परंतुक केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तक ही सीमित है। उक्त परंतुक अनुच्छेद 16 (4-क) की योजना के अनुकूल है।"

23. ***'सूरज भान मीणा एवं अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य***[2], जिस पर उत्तरवादी/स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भरोसा जताया गया है, में अंतर्वलित प्रश्न यह था कि पदोन्नति में पदों का आरक्षण कैसे निर्धारित किया जाए; उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"66. एम. नागराज के मामले में निर्णय के पश्चात स्थिति यह है कि पदोन्नति में पदों का आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता पर निर्भर है और यह इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या ऐसे आरक्षण की आवश्यकता थी भी या नहीं।"

24. अतः, *'सूरज भान मीणा'*[2] का निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उत्तरवादी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का पक्ष यह है कि पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा 'एम. नागराज'[1] के मामले में नकार दिया गया है।

[2] (2011) 1 एस.सी.सी. 467

25. याचिकाकर्ता की अभ्यर्थिता पर वर्ष 2001 में श्रेणी ई-5 से ई-6 में पदोन्नति हेतु विचार किया गया था और प्रत्यर्थियों के अनुसार वह वर्ष 2001, 2002, 2003 एवं 2004 में भी उपयुक्त नहीं पाया गया। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2001 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के तत्काल पश्चात चयन न होने को चुनौती नहीं दी थी, किंतु इस प्रकरण में वाद-हेतुक निरंतर जारी रहने वाला है और इस प्रकार, याचिका को विलंब एवं शिथिलता के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता था। चूंकि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में भी यह याचिका दायर की है, अतः याचिकाकर्ता के मामले पर उपरोक्त संप्रेक्षणों के आलोक में तथा सुस्थापित संवैधानिक प्रावधानों और उपरोक्त निर्णयों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए सितंबर, 2004 की स्थिति के अनुसार विचार किया जा सकता है। तदनुसार, यह आदेशित किया जाता है।

26. परिणामस्वरूप, रिट याचिका उपरोक्त सीमा तक **स्वीकार** की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By – ADV. ANANDITA PRATHNA BEHRA